



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55739

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 95/2026

सुनील एवं 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: अंशुल पटेल, जवाहर यादव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. इस न्यायालय ने दिनांक 12.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:
"1. सुश्री स्वर्णिमा शुक्ला, अधिवक्ता, जो श्री जवाहर यादव, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष रख रही हैं, तथा श्री उमाशंकर मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 267/2025, धारा 115(2), 352, 351(2), 110 बी.एन.एस., थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और घायल को आई चोटों में से कोई भी जीवन के लिए खतरनाक नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि उन्हें विस्तृत प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए।
5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकगण सुनील, प्रिंस और अभिषेक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक द्वारा संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर 11.02.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -
(i) आवेदकगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे नियत तिथि पर विचारण न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

6. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदकगण को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. इस मामले को दिनांक 11.02.2026 को फ्रेश के रूप में प्रस्तुत करें। 8. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली नियत तिथि तक मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।”

2. आज जब मामला पुकारा गया, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण ने विवेचना में सहयोग किया है। घायल को आई चोटें जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गईं और किसी भी आवेदक को घायल के साथ मारपीट की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदकगण को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उन्होंने उसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और न ही इस तथ्य पर कि उन्होंने इस न्यायालय के अंतरिम आदेश में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचित किया है कि अब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और न्यायालय द्वारा 22.09.2025 को संज्ञान भी लिया जा चुका है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

6. आवेदकगण यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में नामजद हैं, लेकिन उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2026 के आदेश के माध्यम से आवेदकगण को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। यह नहीं कहा गया है कि आवेदकगण ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदकगण की अब किसी हिरासत में पूछताछ के लिए

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवश्यकता नहीं है और सभी अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय हैं, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकगण- सुनील, प्रिंस और अभिषेक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -

- i. आवेदकगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
- ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे;
- iv. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

9. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदकगण को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"